पत्रांक / Letter No. <u>613</u>/IILM/2025 भारत सरकार / Government of India उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण मंत्रालय Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution उपभोक्ता मामले विभाग / Department of Consumer Affairs भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान / Indian Institute of Legal Metrology

वेबसाइट/ www.iilm.gov.in ई-मेल/e-Mail – <u>dir-iilmr-jhr@nic.in</u> कांके,रांची/Kanke, Ranchi-834006 दिनांक/Date: 03/07/2025

To,

The Controller Legal Metrology All State / UT's

Subject: Seminar on Law's relating to Legal Metrology - reg.

Sir,

I have to inform that the Institute is going to organize a two day's Seminar on Law's relating to Legal Metrology from 11.09.2025 to 12.09.2025. This seminar will be beneficial to all the officials of Legal Metrology in the light of Legal Metrology Act, 2009 & Rules made there-under.

You are, therefore requested to kindly attend the seminar and may also depute two senior officers preferably of the level of Deputy Controller or Assistant Controller from your state / Union Territory, who possess the qualification as per rule 5 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules 2011, for a beneficial discussion on the subject of proper enforcement. Please inform the names of the officers by 10.09.2025 for its confirmation.

भवदीय / Yours faithfully

डॉ. राजेश्वर कुमार / Dr. Rajeshwar Kumar

निदेशक / Director

Copy to:

1. Training File

पत्रोक/Letter No. 38 /भा.वि.मा.वि.सं./2025 भारत सरकार / Government of India उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण मंत्रालय Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution उपभोक्ता मामले विभाग / Department of Consumer Affairs भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान / Indian Institute of Legal Metrology

वेबसाइट/ www.iilm.gov.in ई-मेल/e-Mail — <u>dir-iilmr-jhr@nic.in</u> कांके,रांची/Kanke, Ranchi-834006 दिनांक/Date : 03/57/2025

सेवा में,

नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश

विषय:- विधिक माप विज्ञान से संबंधित अधिनियमों पर दो दिवसीय संगोष्ठी - के सम्बन्ध में। महोदय,

उपरोक्त विषय पर, मुझे यह सूचित करना है कि संस्थान दिनांक 11.09.2025 से 12.09.2025 तक "विधिक माप विज्ञान से संबंधित अधिनियमों" पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमावली के आलोक में, यह संगोष्ठी विधिक माप-विज्ञान के सभी अधिकारियों के लिए लाभप्रद होगी।

अतः समुचित प्रवर्तन विषय पर हितकारी चर्चा हेतु, आपसे अनुरोध है कि उक्त संगोष्ठी में स्वयं भाग लें एवं अपने राज्य / केन्द्रशाषित प्रदेश से उप नियंत्रक अथवा सहायक नियंत्रक स्तर के दो विरष्ट अधिकारियों को भी नामित कर सकते है, जो भारतीय विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 के नियम 5 के अनुरूप अहर्ता रखते हो। कृपया इसकी पुष्टि के लिए अधिकारियों के नाम दिनांक 10.09.2025 तक सूचित करें।

भवदीय / Yours faithfully

डॉ. राजेश्वर कुमार / Dr/ Rajeshwar Kumar

निदेशक / Director

प्रतिलिपि:

1. प्रशिक्षण संचिका